


डा.पु. से. 136/2025
GCMSPo. 2025/---
अन्तर्गत 09 R4-151 CPC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 54/2023 जीसीएमएस नं. 2023/99 गुरशरणपाल सिंह बनाम ज्ञान कौर आदि वाद पत्र 88, 53 आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
05.08.2025	<p>प्रार्थी/वादी गुरशरण पाल सिंह मय अधिवक्ता वादी श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र दिनांक 18.10.2024 को प्रार्थी व अधिवक्ता की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादी को प्रकरण का ज्ञान हुआ तथा अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो पता चला कि अधिवक्ता प्रैक्टिस में नहीं है। वादी अधिवक्ता के विश्वास पर सद्भाविक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। वादी द्वारा जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में चूक नहीं की गयी है। वाद पत्र को पुनः रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में 200 रूपये कोस्ट पर वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद के उसी नम्बर पर पुनः स्थापना किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रकरण में पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 से 7 के द्वारा स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा व शपथ पत्र पेश किये गये हैं। अधिवक्ता प्रतिवादीगण को सूचित किया जावे। पत्रावली प्रतिवादी सं. 8 से 13 की तलबी हेतु नियत थी। वकील वादी पत्रावली प्रतिवादी सं. 8 से 13 की तलबी हेतु रजि. एडी सम्मन तलवाना पेश करें। पत्रावली दिनांक 06.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर</p>	

